संख्या-19/2018/05/78-1-2018-134आई0टी0/2017

प्रेषक,

अभय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1131.55 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यूपी डेस्को) के पत्र संख्या-904/157/VI/6929, दिनांक 23-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन के लिए कॉल सेन्टर (सीसीए) संस्था के संबंध में भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से आय-व्ययक में वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1137.65/- (ग्यारह करोड सैंतीस लाख पैसठ हजार मात्र) में से रू0 1131.55/- (रूपये ग्यारह करोड इकतीस लाख पचपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(4) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजनान्तर्गत कन्सलटेंट संस्था हेतु तथा कॉल सेन्टर एजेन्सी हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजनान्तर्गत कन्सलटेंट संस्था हेतु तथा कॉल सेन्टर एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यूपी डेस्को) द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक-2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-07 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय में, के नामे डाला जायेगा तथा अनुपूरक मांग 2017-18 व तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-28/दस-2018, दिनांक 22-1-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय)
विशेष सचिव।

संख्या-19/2018/05(1)/78-1-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- जिलाधिकारी, कानपुर।
9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।